


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>मोडाराम पुत्र हंसाराम सुथार, निवासी जखोडा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)</p> <p>बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाली प्रथम सूचना अपील संख्या :- 63/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/116 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>08.08.2024</p>	<p align="center">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष उपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना तहसीलदार, बाली से संबंधित होने से तहसीलदार बाली ने अपने पत्रांक द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना काफी ढूढने के बाद भी इस कार्यालय में नहीं मिली है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बाली द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति जाहिर की। अतः उपरोक्त विवेचन के परिणाम में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बाली को निर्देशित किया जाता है कि एक बार पुनः एक कमेटी का गठन किया जाकर वांछित सूचना कार्यालय में ढूढकर अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 30 दिवस में निस्तारण करे। निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जिले के जल दफतर हो। <p align="center">  (एल.एस. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	